भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *278
दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

संदूषित पेयजल स्रोत

†*278. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2023 से ऐसी बस्तियों की वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिनमें फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह तत्व, लवणता और भारी धातुओं के कारण पेयजल के संदूषित स्रोतों की सूचना मिली है;
(ख) क्या सरकार ने ऐसे ग्रामीण और शहरी परिवारों की संख्या का आकलन किया है जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पेयजल मानकों को पूरा करते हुए वर्ष 2023 से नल से पेयजल प्राप्त कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) वर्ष 2023 से प्रयोगशालाओं में और फील्ड टेस्टिंग किटों (एफटीके) के माध्यम से जांचे गए पेयजल के नमूनों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार एफटीके के माध्यम से संदूषण का पता लगाने और उपचारात्मक कार्रवाई पूरी करने के बीच लगने वाले समय के संबंध में आंकड़े रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'संदूषित पेयजल स्रोत" के संबंध में श्री बलवंत बसवंत वानखडे द्वारा पूछे गए दिनांक 06.08.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 278 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के तहत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार वित्तीय, नीतिगत मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी के साथ शुरू किया गया था, ताकि ग्रामीण परिवारों को नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर, पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाली पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जेजेएम के अंतर्गत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को बैंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है।

मिशन की शुरुआत के समय, देश में केवल 3.24 करोड़ (16.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। दिनांक 18.07.2026 तक, 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.89 करोड़ (82.09%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि जल गुणवत्ता के मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक स्वच्छ जल स्रोतों/थोक जल अंतरण के आधार पर पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें। इसके अलावा, जेजेएम के तहत शुरू की गई किसी भी जल आपूर्ति योजना को संबंधित राज्य सरकार की स्रोत खोज समिति की इस आशय के साथ सिफारिश के बाद ही अनुमोदित किया जाता है कि योजना के अंतर्गत योजनाबद्ध अभिचिह्नित जल स्रोत में आवश्यक मानदंड के अनुसार जल आपूर्ति को बनाए रखने की पर्याप्त क्षमता है।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई थी। इस पुस्तिका में विभिन्न परीक्षण बिंदुओं जैसे स्रोत, शोधन संयंत्र, भंडारण और

संवितरण स्थलों पर पेयजल के नमूनों का व्यापक परीक्षण करने और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) का है। अनुशंसित उपचारात्मक कार्रवाई में रासायनिक रूप से संदूषित जल स्रोतों को तत्काल बंद करना, संबंधित प्राधिकारियों और प्रभावित समुदायों को परिणाम की सूचना देना, पाइपगत जल आपूर्ति बहाल होने तक जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार शुद्ध पेयजल (कम से कम 8-10 एलपीसीडी) सुरक्षित स्रोत के माध्यम से या वैक्लपिक साधनों के माध्यम से 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना, ओएचटी की सफाई कराने, 7 दिनों के भीतर पाइप लाइन रिसाव आदि की जांच कराने जैसे आपातकालीन उपचार उपाय/कार्रवाई करना, सभी बुनियादी और क्षेत्र-विशिष्ट रसायनों के साथ-साथ बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडों का परीक्षण करना, और यदि सुरक्षित पाया जाता है, तो रासायनिक संदूषकों के मामले में सुरक्षित स्रोत से पानी की आपूर्ति बहाल करना शामिल हैं। दूसरी ओर, जीवाणु संदूषण के मामले में, तत्काल कार्रवाई (24 घंटे के भीतर) अवश्य की जानी चाहिए, जिसमें उचित कीटाणुशोधन, प्राधिकारियों और प्रभावित समुदायों को समस्या की सूचना देना, और टैंकरों (8-10 एलपीसीडी) के माध्यम से सुरक्षित पेयजल प्रदान करने की अस्थायी व्यवस्था करना शामिल है।

2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के दौरान जांचे गए पेयजल के नमूनों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सूचित किया है कि देश भर के चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों में वर्ष 2015 में शुरू किया गया अटल नवीकरण तथा शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास पर केंद्रित था। कवरेज का विस्तार करने के लिए, अमृत 2.0 को वर्ष 2021 में सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू किया गया ताकि शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाया जा सके। अमृत और अमृत 2.0 के माध्यम से और राज्यों के साथ मिलकर, देश भर के शहरी क्षेत्रों में लगभग 270 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

अनुबंध

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 278 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संसूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26		वित्त वर्ष 2026-27	
		प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या	एफटीके का उपयोग करके जांचे गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या	एफटीके का उपयोग करके जांचे गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या	एफटीके का उपयोग करके जांचे गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या	एफटीके का उपयोग करके जांचे गए नमूनों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	984	351	1,172	160	2,723	1,552	666	92
2.	आंध्र प्रदेश	6,99,999	4,64,831	6,86,179	2,76,342	7,15,401	3,56,507	2,03,602	1,36,400
3.	अरुणाचल प्रदेश	39,238	33,490	22,271	10,689	10,364	3,904	1,523	122
4.	असम	2,97,405	12,14,852	2,70,466	8,37,769	2,05,120	4,24,494	61,276	86,996
5.	बिहार	1,60,783	49,736	2,74,547	1,412	1,36,626	29,557	46,153	24,262
6.	छत्तीसगढ़	1,23,175	2,97,229	1,60,891	2,03,657	1,01,593	1,11,981	30,333	39,353
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	-	3,060	-	178	-	-	-	-
8.	गोवा	10,336	22	13,660	-	7,530	-	833	-
9.	गुजरात	1,53,057	2,92,444	71,204	4,25,718	3,12,531	2,80,206	1,26,567	33,172
10.	हरियाणा	69,702	37,996	60,757	16,896	44,717	252	19,130	6,366
11.	हिमाचल प्रदेश	2,20,428	1,47,982	2,41,458	1,30,389	2,75,154	2,78,346	72,519	30,463
12.	जम्मू एवं कश्मीर	2,53,364	34,793	2,66,547	2,129	3,10,370	33	98,899	83
13.	झारखंड	2,14,431	7,85,488	2,18,562	6,99,655	2,10,621	2,85,324	74,109	4,47,843
14.	कर्नाटक	2,66,532	2,15,742	3,21,759	9,21,677	2,56,206	8,01,512	1,05,056	13,06,825
15.	केरल	6,36,043	2,27,651	7,00,732	612	3,63,041	9,899	94,137	4,780
16.	लद्दाख	7,706	1,809	10,229	623	8,325	462	672	13
17.	लक्षद्वीप	6,880	475	7,897	-	3,576	20	814	-

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26		वित्त वर्ष 2026-27	
		प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या	एफटीके का उपयोग करके जांचे गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या	एफटीके का उपयोग करके जांचे गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या	एफटीके का उपयोग करके जांचे गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या	एफटीके का उपयोग करके जांचे गए नमूनों की संख्या
18.	मध्य प्रदेश	5,74,409	6,56,077	5,74,798	3,52,198	4,88,653	1,70,645	2,39,906	2,59,465
19.	महाराष्ट्र	6,42,396	2,46,187	5,87,570	3,56,666	5,47,688	3,60,170	2,21,392	1,47,047
20.	मणिपुर	17,413	16,352	19,508	11,085	5,773	1,462	1,157	768
21.	मेघालय	51,836	17,172	40,657	14,606	37,580	9,980	21,165	11,194
22.	मिजोरम	29,224	7,381	21,908	3,377	7,788	1,198	2,628	181
23.	नागालैंड	7,947	20,249	6,751	15,590	1,258	6,279	449	369
24.	ओडिशा	2,60,445	4,02,332	2,72,406	2,49,298	2,42,555	3,82,149	91,098	54,142
25.	पुदुचेरी	818	-	287	18	-	-	-	45
26.	पंजाब	33,107	1,46,504	67,481	1,14,956	69,953	90,637	23,279	55,835
27.	राजस्थान	1,98,476	3,64,778	1,80,063	66,845	73,144	10,495	13,594	15,408
28.	सिक्किम	15,527	9,566	17,297	5,803	8,436	49	3,460	581
29.	तमिलनाडु	8,48,706	9,12,785	9,07,742	4,40,081	9,43,022	47,997	3,53,094	1,80,077
30.	तेलंगाना	2,91,673	1	2,85,183	-	2,78,446	-	89,247	16
31.	त्रिपुरा	50,701	61,371	82,287	52,494	55,538	20,593	18,976	5,977
32.	उत्तर प्रदेश	6,23,246	35,89,028	0,67,899	38,34,685	8,25,798	10,26,956	1,78,830	6,20,567
33.	उत्तराखंड	1,19,958	34,975	1,25,553	1,520	1,06,444	33	43,250	-
34.	पश्चिम बंगाल	5,74,096	5,61,487	6,82,526	3,37,058	4,74,910	2,74,735	91,110	24,998
कुल		**75,00,041**	**1,08,54,196**	**82,68,247**	**93,84,186**	**71,30,884**	**49,87,427**	**23,28,924**	**34,93,440**

*आज की तारीख तक

स्रोत: जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस